T.S N. 09/EE/2024-25 Dt- 19.11.2024

IRRIGATION DEPARTMENT, UTTARAKHAND

अपार शक्तेः स्त्रोतः गंगेयम्

TS Estimate

BLOCK : Munsiyari

DISTRICT : Pithoragarh

STATE : UTTARAKHAND

YEAR : 2024-25

NAME OF WORK : Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

CONSTRUCTION COST : Rs. 6.00 Lacs

EXECUTIVE AGENCY IRRIGATION DIVISION, DHARCHULA, PITHORAGARH

CIRCLE OFFICE IRRIGATION WORKS CIRCLE, PITHORAGRH

सिंचाई कार्यमण्डल पिथौरागढ
सिंचाई खण्ड धारचूला
उपखण्ड चतुर्थ, गौचर।

योजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रामगंगा नदी के बाएं पार्श्व पर स्थित ग्राम भैंसखाल की कटाव निरोधक कार्य का प्राक्कलन।

आंख्या

जनपद पिथौरागढ उत्तराखण्ड राज्य का सीमान्त एवं पर्वतीय जनपद है। इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल 7218 वर्ग किमी0 है। इस जनपद की पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है। ग्राम भैंसखाल जनपद पिथौरागढ के मुनस्यारी तहसील में जिला मुख्यालय पिथौरागढ से पिथौरागढ– मुनस्यारी मोटर मार्ग पर लगभग 74 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

विगत वर्षो व इस वर्ष मानसुन काल में हुई भारी बारिश एवं अतिवृष्टि के कारण ग्राम भैंसखाल के कई आवासीय मकान एवं कृषि भूमि रामगंगा नदी के तीव्र कटाव से खतरे की जद मे आ गये है, तथा भविष्य में भी इस गॉव के आवासीय भवनों को रामगंगा नदी के कटाव से खतरा बना हुआ है। इस गॉव को बचाने हेतु रामगंगा नदी के बाएं पार्श्व पर कटाव निरोधक कार्य शीघ्र कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त के कम में आबादी की सुरक्षा हेतु स्थानीय जनता एवं जन–प्रतिनिधियों की मांग पर उक्त प्राक्कलन का गठन किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत रू0 6.72 लाख आंकी गयी थी, जिसके सापेक्ष राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ के पत्रांक संख्या – 191/न्यूनीकरण निधि/आ0प्र0/2024–25 दिनांक 07 नवम्बर 2024 द्वारा रु0 6.00 लाख मात्र का आवंटन हुआ है जिसके कम मे प्राविधिक प्राक्कलन मे उक्त गॉव की सुरक्षा हेतु रामगंगा नदी के बाऐं तट मे 1st स्टैप मे कुल 30.00 मी0, 2nd स्टैप मे कुल 27.00 मी0 व 3rd स्टैप मे कुल 24.00 मी0 लम्बाई मे वायर क्रेट साईज 3.0x1.5x1.5 मी0 लगाया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में योजना का गठन लो0 नि0 वि0 की ऑन लाईन स्वीकृत ब्लॉक मुनस्यारी की दरों के अनुसार वर्ष 2023–24 दिनांक 03.10.2022 की अनुसूची के आधार पर 18 प्रतिशत जी0 एस0 टी0 सम्मिलित करते हुए किया गया है।

अतः प्राविधिक प्राक्कलन लागत रु0 6.00 लाख का अनुमोदन हेतु संस्तुति सहित प्रषित है।

सहायक अभियन्ता–IV
सिंचाई खण्ड धारचूला

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड धारचूला

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

ABSTRACT OF COST

S.No.	Description of Work	Amount in Rs	
1	Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.	5,99,540.64	
	Say	6.00	Lakhs

Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या 406/XVIII-B-1/2024-12(7)/2018 दिनांक [illegible] एवं शासनादेश संख्या 633/XVIII-B-1/2024-12(7)/2018 दिनांक 01/10/2024 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त [illegible] कार्यदायी संस्था सिंचाई खण्ड, धारचूला को 01 कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 6.00 लाख (₹ [illegible] लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील/खण्ड/ग्राम का नाम/स्थान का नाम	कार्य योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6
1	डीडीहाट/मुनस्यारी/गैराखाल	जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रामगंगा नदी के बांये पार्श्व पर स्थित ग्राम गैराखाल को कटाव निरोधक कार्य	सिंचाई खण्ड धारचूला	6.72	6.00

आहरण वितरण अधिकारी, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ उपरोक्त स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 6.00 लाख का सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किये जाने हेतु कोषागार से आहरित करना सुनिश्चित करें। आपदा प्रबन्धन अधिकारी पिथौरागढ़ स्वीकृत ₹ 6.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % की धनराशि ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख मात्र) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये तथा अवशेष द्वितीय किस्त की धनराशि ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख मात्र) को जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़ के नाम से पंजाब नैशनल बैंक पिथौरागढ़ की शाखा में संचालित बैंक खाता संख्या–1672002100005354,आई0एफ0एस0सी0 कोड–PUNB0167200 में जमा करना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था से उपयोगिता प्रमाण प्राप्त होने उपरान्त द्वितीय किस्त की धनराशि का भुगतान नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, धारचूला को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार तत्काल कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को Geo tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

3– कार्य कराने से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग जनहित में आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है ।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं

वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आंगणनों में रिलप किया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मैजरमेन्ट झींगेत अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें ।

5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय।इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई का होगा।

6- संबंधित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य इसी वर्ष दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है । स्वीकृत धनराशि नये निर्माण कार्यों में कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

7- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त मरम्मत कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक/विभागीय परिसम्पत्तियों पर ही आपके द्वारा प्रस्तुत आंगणनों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त आंकलित धनराशि के अनुसार ही खर्च की जायेगी । ध्यान रखें कि सामान्य मरम्मत के कार्य दैवी आपदा की परिधि में नहीं आते हैं । अतः स्वीकृत की जा रही सामान्य मरम्मत के कार्यो, नवनिर्माण कार्यो तथा विकास कार्यों में किसी भी दशा में व्यय न करें ।

9- दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनियमित्तां, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें ।

11- कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेगें एवं लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का पूर्ण अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

12- इस मद से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ आवश्यक रूप से रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जाय। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का परीक्षण संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार ही संबंधित कार्य दायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर इस मद से निर्मित कार्य योजना का नाम लागत दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कंकरीट एवं बोर्ड पर अंकित कर दिया जायेगा । कार्य का सत्यापन उप जिलाधिकारियों से कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ तथा सत्यापन आख्या यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा ।

13- उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंगणन/तकनीकी परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रकिया का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरादायी रहेंगे ।

कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड, [illegible] निविदा [illegible] आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त प्रपत्र-1,प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 में सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित की गई अवधि के अन्दर औपचारिकताएं पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के मध्य, कार्य पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन अन्तर्गत संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

संबंधित कार्यदायी संस्था सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगें। जिला कार्यालय के दैवी आपदा अनुभाग मे महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित-2017 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

16 अक्टूबर ,2024

ह0/-
(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ।

...151 /न्यूनीकरण निधि/आ0प्र0/2024-25 दिनांक 07, नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

...चिव, आपदा प्रबन्धन,उत्तराखण्ड, देहरादून ।
...हालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
...प जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
...ख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
...धिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, धारचूला।
...गार्ड फाईल ।

प्रभारी अधिकारी,(दैवीय आपदा)
कृते जिलाधिकारी,पिथौरागढ।

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

BILL OF QUANTITY

Block : Munsiyari | District : Pithoragarh

S.No.	Reference to SOR	Item of Work	Quantity	Unit	Rate in Rs	Amount in Rs
	PROTECTION WORK					
1	MISCELLANEOUS 1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	81.68	Cum	495.70	40488.78
2	MISCELLANEOUS 1-7-2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders, as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge IWG	182.25	Cum	2434.81	443744.12
3	MISCELLANEOUS 1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc, complete as per direction of Engineer-in-charge. (As per PWD Uttarakhand specification)	20.55	Cum	1160.70	23852.39
					Total	5,08,085.29
					Add 18% G.S.T.	91,455.35
					Grand Total	5,99,540.64
					Say	6.00

Checked

Junior Engineer
IVth Sub Division
Gauchar

Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक संख्या-151/सुरक्षात्मक निधि/आ०प्र०/2024-25 दिनांक 7.11.2024 के सन्दर्भ में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रामगंगा नदी के बांये पार्श्व पर स्थित ग्राम भैंसखाल की कटाव निरोधक कार्यों का प्राविधिक आगणन कुल लागत रु० 6.00 लाख (रु० छः लाख मात्र) की प्राविधिक स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के समय उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत योजना के कार्यों में अनावश्यक व्ययों से किसी भी दशा में आच्छादित न किया जाए।

उक्त प्राविधिक स्वीकृति इस कार्यालय के प्राविधिक रजिस्टर में क्रम संख्या-03/EE/2024-25 दिनांक 19.11.2024 में अंकित की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, धारचूला

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block Munsvari of Distt Pithoragarh.

SCHEDULE OF RATE

Block - 49 Munsyari District - Pithoragarh Effective Date- 03-10-2023

Block : 49-Munsyari Zone : II - Distance by foot: 30 Mtr to 1.00km

S.No	S O R Item No.	Item Of Work	Rate in Rs	Unit	Index rate (in %)	Index amount	Total rate
1	MISCELLANEOUS 1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specifiction.	495.70	Cum	0.00	0.00	495.70
2	MISCELLANEOUS 1-7-2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG	2410.70	Cum	1.00	24.11	2434.81
3	MISCELLANEOUS 1-5	Hand Packed stone filling in back of wallls including cost of all materials, royality,T&P etc. complete as per direction of Engineer-in-charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1160.70	Cum	0.00	0.00	1160.70

Rates checked

Junior Engineer
IV Sub Division
Gauchar

Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

Sl. No.	Description	Rate	Unit
CHAPTER-1	**- General Items**		
1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without useinng Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	83.80	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	32.70	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer)		
	Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	133.40	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer , lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause	326.80	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	64.20	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specifiction	495.70	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royaltiies etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specifiction	2,675.80	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royaltiies etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specifiction	4,483.50	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of wallls including cost of all materials, royality, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,160.70	Cum
1-6	Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,749.60	Cum
1-7	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)		
1-7-1	GI wire 10 gauge BWG	2,210.00	Cum
1-7-2	GI wire 8 gauge BWG	2,410.70	Cum
1-8	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 2.7mm/3.7mm, edge/selvedge wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	9,242.10	No.

Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

DETAILS OF MEASUREMENT

S/No	Item of Work	No		Length (m)	Width (m)	Height (m)	Quantity	Unit
1	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specifiction.							
	1st Layer left bank	0.50	10	3.00	1.50	1.50	33.75	Cum
	2nd Layer Left bank	0.50	9	3.00	1.50	1.30	26.33	Cum
	3rd Layer Left bank	0.50	8	3.00	1.50	1.20	21.60	Cum
					Grand Total		81.68	Cum
					Say		81.68	Cum
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG							
	1st Layer Left bank	1	10	3.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd Layer Left bank	1	9	3.00	1.50	1.50	60.75	Cum
	3rd Layer Left bank	1	8	3.00	1.50	1.50	54.00	Cum
					Grand Total		182.25	Cum
					Say		182.25	Cum
3	Hand Packed stone filling in back of wallls including cost of all materials, royality,T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)							
	2nd Layer Left bank	1	9	3.00	(0.25+0.50)/ 2	1.20	12.15	cum
	3rd Layer Left bank	1	8	3.00	(0.20+0.50)/	1.00	8.40	cum
					Grand Total		20.55	cum
					Say		20.55	cum

Junior Engineer
4th Sub Division
Gauchar

Assistant Engineer- IV
Sub Division
Gauchar

Anti Erosion work for protection of Bhainskhaal village on Left bank of Ramganga river at block Munsyari of Distt Pithoragarh.

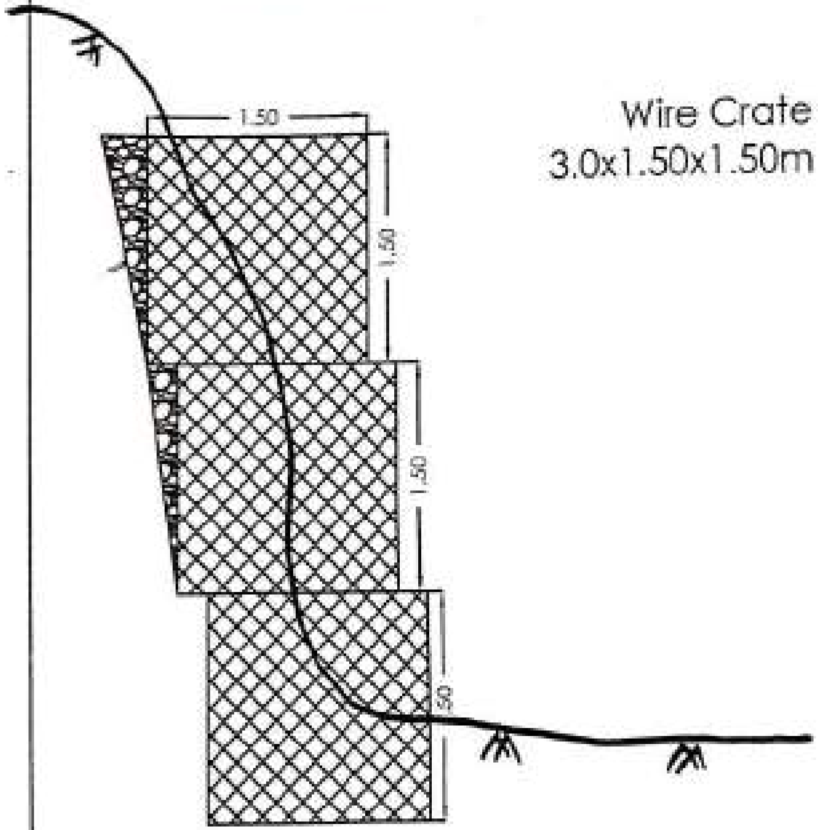

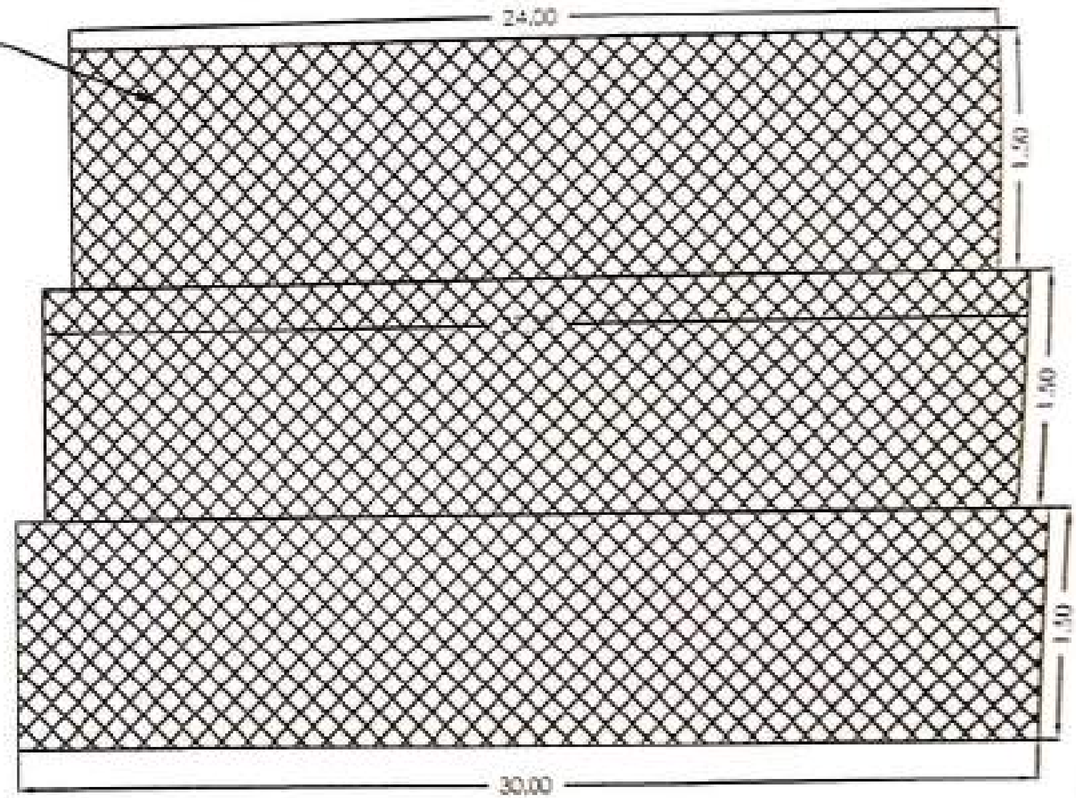

Note:- All Dimensions are in Mtr

Junior Engineer
IVth Sub Div.
Gauchar

Assistant Engineer-IV
Sub Div. Gauchar

Executive Engineer
I D Dharchula

PHOTOGRAPHS